न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/10/2014	2014/00054	05.03.2014	03.09.2024

1. रामखिलारी पुत्र सोन्या, जाति कुम्हार, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम तालाब, तहसील राजगढ जिला अलवर।

— निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत तालाब, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान (जरिये सरपंच)।
2. सचिव ग्राम पंचायत तालाब, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर।
3. बनवारी लाल पुत्र कल्याण सहाय, जाति कुम्हार, आयु 48 वर्ष, निवासी ग्राम तालाब, तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

— गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.1997, ग्राम पंचायत तालाब, पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर), जिस आदेश के मुताबिक गैर निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में गलत तरीके से खिलाफ कानून पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थितः—

01. श्री सचिन खत्री — वकील निगरानीकार
02. श्री शिवलहरी गुप्ता —वकील अनिगरानीकार सख्या 03

—:: निर्णय ::—

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनाँक 20.09.1997, ग्राम पंचायत तालाब, पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) से व्यथित होकर यह अपील अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है निगरानी हाजा के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं. 1952 किस्म सिवायचक गैर मुमकिन राड़ा ग्राम तालाब, तहसील— राजगढ़ (अलवर) में स्थित है। जिस आराजी के 0.05 है. भूमि पर निगरानीकर्ता का गत 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और उक्त राड़ा की भूमि को निगरानीकर्ता बतौर बाड़ा अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। उक्त राढ़ा की भूमि का मालिक राजस्थान्यू जरिये तहसीलदार साहब, साजम (अलवर) (तरतीबी गैर निगरानीकर्ता) है। जिनके द्वारा निगरानीकर्ता की उका आराजी खसरा नं. 1952 0.05 है. भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत हस्य दफा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था और जिस नोटिस का निगरानीकर्ता द्वारा अपने पुराने कब्जे के आधार पर जवाब भी पेश किया गया। जिस पर उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने बाबत तरतीबी गैर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता पर पेनल्टी लगाई गई। जिसे निगरानीकर्ता द्वारा जमा करवाई गई। जिसकी रसीद निगरानीकर्ता के पास मौजूद है। नोटिस अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम व रसीद पेनल्टी प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत तालाब के तत्कालीन सरपंच ने उक्त राहा की भूमि में से एक आबादी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

प्लॉट पूर्व–पश्चिम 24 गज व उत्तर–दक्षिण 22 गज का गैर निगरानीकर्ता सं. 3 को जरिये विकय–विलेख दे दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर गैर निगरानीकर्ता सं. 3 काबिज नहीं है। बल्कि उक्त भूमि पर लगातार निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। गैर निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है कि वो सरकारी सिवायचक गैर मुमकिन राड़ा की भूमि हाल खसरा नं. 1952 की भूमि में से विक्रय विलेख जारी करे। क्योंकि सिवायचक गैर मुमकिन राड़ा की भूमि की मालिक सरकार जरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) होती है। इसलिए विकय विलेख शुन्य करार दिये जाने और निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत को केवल उसी भूमि पर विक्रय–विलेख जारी करने का अधिकार होता है, जो भूमि आबादी में पड़ती है या राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय द्वारा सिवायचक भूमि को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई है। अन्यथा किसी भी किस्म की भूमि पर ग्राम पंचायत को कानूनन आबादी का विक्रय विलेख–पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा बेजा तौर पर गैर मुमकिन राड़ा की भूमि खसरा नं. 1952 रकबा 0.05 है. वाकै ग्राम तालाब में से गैर निगरानीकर्ता सं. 3 के पक्ष में आबादी का विकय विलेख प्लॉट पूर्व–पश्चिम 24 गज व उत्तर–दक्षिण 22 गज का दिनॉक 20.09.1997 को जारी किया गया है। इसलिए विकय विलेख शुन्य करार दिये जाने और निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत तालाब के द्वारा गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में उका गैर मुमकिन राहा की भूमि में ही आबादी प्लॉट 24 ग 22 वर्गगाज दिनांक 20.09.1997 की पारी किया गया। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को दिनांक 04.03.2005 को हुई। जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत तालाब से विक्रय विलेख पत्र की सत्य प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विकय विलेख पत्र की निगरानीकर्ता को दिनांक 05. 03.2005 को प्राप्त हुई। निगरानीकर्ता को नकल विकय विलेख प्राप्त होने पर कानूनी जानकारी के अभाव में निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत तालाब के पंचायत समिति– राजगढ़ (अलवर) के समक्ष दिनांक 04.04.2005 को पेश की। जिस पर पंचायत समिति– राजगढ़ (अलवर) द्वारा ग्राम पंचायत तालाब से उक्त विक्रय विलेख दिनांक 20.09.1997 बाबत रिपोर्ट तलब की। जिस पर ग्राम पंचायत तालाब द्वारा दिनांक 22.04.2006 के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर अपनी निर्णय की रिपोर्ट पंचायत समिति– राजगढ़ (अलवर) के समक्ष प्रस्तुत की। लेकिन गैर मुमकिन राड़ा सिवायचक भूमि पर पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं होने के कारण पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 23.12.2006 को पारित किया कि 'उक्त विवादित विकय विलेख दिनांक 20.09.1997 की भूमि आबादी भूमि नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन राडा सिवायचक भूमि है। इसलिए जो पट्टा दिया गया है. वो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1995 के मुताबिक खिलाफ कानून है। जिस कारण ग्राम पंचायत तालाब का निर्णय निरस्त किया जाता है और अपील स्वीकार की जाती है। लेकिन पट्टा निरस्त करवाने हेतू श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अलवर की न्यायालय में अपीलांट को निगरानी दायर करने का निर्देश प्रदान किया। जिस बाबत निगरानीकर्ता द्वारा कानून की जानकारी के अभाव में प्रशासनिक कार्यवाही की गई थी।

गैर निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 ने गैर निगरानीकर्ता सं. 3 से मिलकर यह जानते हुए भी कि गैर मुमकिन राड़ा सिवायचक भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

है, के बावजूद गैर निगरानीकर्ता सं. 3 को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से विना अधिकार विक्रय विलेख (पट्टा) गैर निगरानीकर्ता सं. 3 के पक्ष में जारी कर दिया। जो पट्टा गैर मुमकिन राड़ा सिवायचक में होने के कारण गैर निगरानीकर्ताको उसे जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसलिए भी गैर निगरानीकर्ता नं. 3 को पक्ष में जारी किया गया पट्टा गैर कानूनी होने के कारण निरसा किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत तालाव, पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) द्वारा गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी करने की शिकायत निगरानीकर्ता द्वारा काफी बार की गई। परन्तु प्रशासनिक कार्यवाहियों के तहत पट्टा निरस्त नहीं होने पर निगरानीकर्ता द्वारा अपने वकील साहब से इस बाबत कानूनी सलाह ली गई। जिस पर यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गैर मुमकिन राहा सिवायचक हाल आराजी खसरा नं. 1952 रकबा 0.05 वाकै ग्राम तालाब, तहसील राजगढ़ (अलवर) न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इस कारण उक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् से निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नं. 1952/0.05 है. गैर मुमकिन राड़ा सिवायचक वाकै ग्राम तालाब, तहसील–राजगढ़ अलवर के संबंध में गैर निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 द्वारा गैर निगरानीकर्ता सं. 3 के पक्ष में 24 22 गज का दिनोंक 20.09.1997 को विकय–विलेख जारी किया गया है. को निरस्त फरमाया जावे व अन्य अनुतोष जो भी न्यायालय श्रीमान् उचित समझें, निगरानीकर्ता को अदा फरमाये जाने की कृपा करें । निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। अनिगरानीकार जरिये अभिभाषक उपस्थित।

वकील निगरानीकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील निगरानीकार एवं अनिगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का मिलान करने पर यह पाया गया कि वकील निगरानीकार या निगरानीकार द्वारा प्रकरण से संबंधित कोई विधिक रिकॉर्ड या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही पत्रावली पर कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश किया है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण आधार पर निगरानीका का निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)